संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)12

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1—महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2—निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—3 देहरादून, दिनांकः 19 मार्च, 2013

विषयः बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः विविध/38613/साईकिल योजना /2012—13 दिनांकः 03 सितम्बर, 2012 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा को पूर्णतः प्रोत्साहन दिये जाने के उपरान्त भी कई क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय न भेजने की समस्या विद्यमान होने एवं वर्तमान में भी राज्य में महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत कम होने व बालिकाओं का माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त कक्षा—9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययनरत् सभी बालिकाओं को आगामी शिक्षा सत्र से मुफ्त साईकिल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य के शासकीय विद्यालयों में संचालित 'सरस्वती योजना' को समाप्त करते हुए इन विद्यालयों में उक्त के स्थान पर कक्षा—8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा—9 में प्रवेश पाने वाली सभी समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन "मुफ्त साईकिल योजना" आगामी शैक्षिणिक सत्र से प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(i)— उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कक्षा—9 में अध्ययनरत् मैदानी क्षेत्रों की बालिकाओं को अनिवार्य रूप से मुफ्त साईकिल सुविधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में कक्षा—9 में अध्ययनरत् बालिकाओं को साईकिल के कय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाकघर एफ0डी0 लेने का विकल्प रहेगा जिसके अन्तर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी। सावधि जमा धनराशि के मामले सम्बन्धित विद्यालय के समीपवर्ती राष्ट्रीयकृत/सहकारी/ग्रामीण बैंकों तथा डाकघरों में व्यवहरित किये जायेगें।

(ii)— बालिकाओं के ऐसे सावधि जमा(एफ0डी0) प्रमाण पत्र का नकदीकरण संबंधित बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी।

(iii)— योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद यदि किसी छात्रा द्वारा शालात्याग कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में यथास्थिति साईकिल की लागत की धनराशि/ सावधि जमा धनराशि विभाग को वापस कर शासकीय कोष में जमा कर दी जायेगी।

(iv)— इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली साईकिलों का कय विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा बल्कि मात्र एक उच्च गुणवत्ता वाली (ISI मार्क) बालिका साईकिल का मानक मूल्य निर्धारित किया जाएगा तथा ऐसा मानक मूल्य निर्धारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा एवं इस संबंध में निर्माताओं की विकय लागत तथा सर्वेक्षण आधार पर निर्माताओं की थोक मूल्य सूची को भी इस हेतु ध्यान में रख कर औचित्य स्पष्ट किया जायेगा।

क्रमशः—2—

इस प्रकार मानक मूल्य का निर्धारण महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। पात्र छात्रा द्वारा अपने लिए साईकिल स्वयं क्रय की जायेगी, ऐसे क्रय के प्रमाण हेतु कैश मैमों प्रस्तुत किया जायेगा एवं साईकिल का निरीक्षण सम्बन्धित विद्यालय के धानाचार्य द्वारा किया जायेगा। निर्धारित मानक मूल्य या वास्तविक कीमत जो भी कम हो, का ,तान छात्रा को एकाउण्ट पैई–चैक के आधार पर किया जायेगा। साईकिल का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि का वहन छात्रा द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा मानक निर्धारित मूल्य से कम मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक मूल्य की निर्धारित अवशेष धनराशि छात्रा को भुगतान नहीं की जायेगी।

(v)– विभाग द्वारा छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त शालात्याग करने की दशा में साईकिल की लागत/सावधि जमा धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने की सुचारू व्यवस्था की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 267(X)/XXVII(3)/2012-13 दिनांकः 15 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डल आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
8– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– गोपन अनुभाग (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– निदेशक राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
12– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 30–30 प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

संख्याः 1924/XXIV-3/13/02(77)2012

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 24 दिसम्बर, 2013

विषयः बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल), योजना की क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अका0/8746–47/साईकिल/ 2013–14, दिनाकः 10 जून, 2013 व पत्रांकः अर्थ–5क/14631/छात्रवृत्ति/2013–14, दिनांकः 12 जुलाई, 2013 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 19 मार्च, 2013 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा को पूर्णतः प्रोत्साहन दिये जाने के उपरान्त भी कई क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय न भेजने की समस्या विद्यमान होने एवं वर्तमान में भी राज्य में महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत कम होने व बालिकाओं का माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के उददेश्य से सम्यक् विचारोपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययनरत् बालिकाओं को वर्तमान शिक्षा सत्र से मुफ्त साईकिल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2 उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वर्तमान में प्रथम चरण में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययरत् सभी बालिकाओं को मुफ्त साईकिल की सुविधा प्रदान की जा रही है।

3. इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय चरण में राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय (Aided) विद्यालयों में भी कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली सभी समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए संगत शासनादेश संख्याः1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 19मार्च, 2013 शासनादेश संख्याः 749/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 07मई, 2013 के प्राविधानों के अधीन निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **"मुफ्त साईकिल योजना"** चालू शिक्षण सत्र से ही प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त योजना से संबंधित मुख्य शर्तें/प्रतिबन्ध का विवरण निम्नवत् हैः–

(i) उक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा–9 में अध्ययरत् मैदानी क्षेत्रों की बालिकाओं को अनिवार्य रूप से मुफ्त साईकिल सुविधा एवं पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में कक्षा–9 में अध्ययनरत् बालिकाओं को साईकिल के क्रय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाक घर एफ0डी0 लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जिसके अंतर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी। सावधि जमा धनराशि के मामले संबंधित विद्यालय के समीपवर्ती राष्ट्रीयकृत/सहकारी/ग्रामीण बैंकों तथा डाकघर में व्यवहरित किये जायेंगे।

(ii) उक्त योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में अनिवार्यता बालिकाओं को निर्धारित मानक मूल्य रू0 2850/–तक की सीमा तक साईकिल उपलब्ध करायी जानी है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक मूल्य रू0 2850/– की धनराशि की 04 वर्ष की एफ0डी0 हेतु बैंक/डाकघर निर्धारण हेतु जनपद स्तर पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्याः 749/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 07 मई, 2013 द्वारा समिति गठित की गयी है, के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iii) बलिकाओं के ऐसे सावधि जमा (एफ0डी0) प्रमाण–पत्र का नकदीकरण संबंधित बालिका के 12वी कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी

क्रमशः–2–

(iv) योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद यदि किसी छात्रा द्वारा शालात्याग कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में यथास्थिति साईकिल की लागत की धनराशि/सावधि जमा धनराशि विभाग को वापस कर शासकीय कोष में जमा कर दी जायेगी।

(v) विभाग द्वारा छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त शालात्याग करने की दशा में साईकिल की लागत/सावधि जमा धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने की सुचारू व्यवस्था की जायेगी।

4. इस प्रकार निर्धारित मानक मूल्य के अधीन पात्र छात्रा द्वारा अपने लिए साईकिल स्वयं क्रय की जायेगी, ऐसे क्रय के प्रमाण हेतु कैश मैमों प्रस्तुत किया जायेगा एवं साईकिल का निरीक्षण संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा। निर्धारित मानक मूल्य या वास्तविक कीमत जो भी कम हो, का भुगतान छात्रा को एकाउण्ट पैई–चैक के आधार पर किया जायेगा। साईकिल का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि का वहन छात्रा द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा मानक निर्धारित मूल्य से कम मूल्य की साईकिल क्रय करने पर मानक मूल्य की निर्धारित अवशेष धनराशि छात्रा को भुगतान नहीं की जायेगी।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन ले0शी0–2202–02–800–18 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना –00–42–अन्य व्यय मानक मद के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 98(P)(X)/XXVII(3)2013-14 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(एस0राजू)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1924/XXIV-3/13/02(77)2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, निजी सचिव, माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डल आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
10– गोपन अनुभाग (मंत्रीपरिषद्), उत्तराखण्ड शासन।
11– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
13– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय रूड़की, जनपद–हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30–30 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0के0तोमर)
उप सचिव।